संख्या- 37/2016/1206/30-3-16-04बी/2012टीसी

प्रेषक,

मुहम्मद अखलाक खॉ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ: दिनॉक 27 मई, 2016

विषय :- सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस योजना के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 में परिवहन विभाग के कम्प्यूटरीकरण की योजना के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में जारी वित्तीय स्वीकृति के अग्रिम आहरण की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-165कं0से0/2016-82कं0से0(सारथी बिल)/2013, दिनॉक 12-04-2016 व पत्र संख्या-183कं0से0/2016-82कं0से0(सारथी बिल)/2013, दिनॉक 10-05-2016 के संदर्भ में अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग में अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-31/918/30-3-16-18बी/2015, दिनॉक 07-04-2015 द्वारा जारी करते हुए आपके निवर्तन पर रखी गयी है। आयोजनेत्तर पक्ष की उक्त वित्तीय स्वीकृति में लेखाशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय की मद में प्रावधानित धनराशि रू0 25,00,00,000.00 (रू0 पच्चीस करोड़ मात्र) में स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की योजना की धनराशि भी सम्मिलित है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सारथी साफ्टवेयर आधारित स्मार्ट कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेन्टर सर्विसेज इनकार्पोरेटेड (निक्सी) नई दिल्ली को अनुबन्ध की शर्त के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 में इस हेतु प्रावधानित धनराशि में से वर्ष 2016 के द्वितीय त्रैमास (अप्रैल से जून, 2016) हेतु रू0 3,26,00,000.00 (रू0 तीन करोड़ छब्बीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि के अग्रिम आहरण पर व्यय किये जाने की वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनॉक 25.10.1983 एवं शासनादेश संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनॉक 10-06-2011 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निम्नलिखित शर्तों के साथ श्री राज्यपाल महोदय एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) वर्ष 2015 के चतुर्थ त्रैमास (अक्टूबर से दिसम्बर, 2015) एवं प्रथम त्रैमास (जनवरी से मार्च, 2016) में स्वीकृत अग्रिम का समायोजन परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा यथाशीघ्र किया जायेगा।

(2) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनॉक से उनके द्वारा वास्तविक उपभोग किये जाने की तिथि तक जो ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश का होगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष- "3055-सड़क परिवहन (आयोजनेत्तर)-001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय-46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय" के नामे डाला जायेगा।

4- स्वीकृत अग्रिम की सम्पूर्ण धनराशि का यथाशीघ्र समायोजन द्वितीय त्रैमासान्त अर्थात दिनॉक 30-06-2016 तक सुनिश्चित करके शासन को अवगत कराया जाय।

5- पूर्व स्वीकृत धनराशि का समायोजन प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करते हुए उसका विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाय।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशा0संख्या-एफए-1-197/दस-2016, दिनॉक 19 मई, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मुहम्मद अखलाक खॉ)
विशेष सचिव।

संख्या- 37/2016/1206(1)/30-3-2016, तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
7- वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8- नियोजन अनुभाग-4
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुहम्मद अखलाक खॉ)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।